न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या 46/2025

बउनवान

सरकार जर्ये रविन्द्र कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, (बारां) (प्रार्थी)

बनाम

श्री राजेश पुत्र श्री गोविन्द लाल, निवासी नगर पालिका कॉलोनी बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत

उपस्थिति :— 1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

निर्णय दिनांक 01.12.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.02.2025 को घरेलू गैस सिलेण्डरों के बढते व्यावसायिक दुरूपयोग की शिकायत के क्रम मैं प्रार्थी हमराह देवाराम सारण, प्रवर्तन अधिकारी, सेठी पेट्रोल पम्प के सामने स्थित रचना पवित्र भोजनालय पर पहुंचे मौके पर श्री राजेश पुत्र श्री गोविन्द लाल, निवासी नगर पालिका कॉलोनी बारां उपस्थित मिले जिनके सामने जांच की गई। जांच में मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। इसलिये द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के भाग 3 के खण्ड 3 का उल्लंघन पाये जाने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त सरकार कर रूबरू मैसर्स लक्ष्य एचपी गैस एजेन्सी बारां की सुपुर्दगी में दिया जाकर सुपुर्दगीनामा लिखा गया।

इस प्रकार अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उपरोक्तानुसार जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात की कार्यवाही कर निस्तारण फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6(बी) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की दुकान सेठी पेट्रोल पम्प के सामने रचना पवित्र भोजनालय है जिससे प्रार्थी अपना एवं परिवार का पेट पालन करता आ रहा है। प्रार्थी के पास दुकान पर दो व्सायिक गैस सिलेण्डर मौजूद है दोनो सिलेण्डर खाली थे तथा उनको भरवाने वाला कोई व्यक्ति दुकान पर मौजूद नहीं था इसी कारण प्रार्थी के दो घरेलू सिलेण्डर लगे हुए थे जो दौराने जांच पकड़ लिये गये हैं। प्रार्थी भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। उक्त गलती के लिये प्रार्थी क्षमा चाहता है। प्रार्थी ने अपनी दुकान पर पूर्व में कभी भी घरेलू सिलेण्डर का उपयोग नहीं किया है। और प्रार्थी इस बात के लिये वचनबद्ध है कि वह अपनी दुकान पर भविष्य में घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी की उक्त गलती क्षमा योग्य है। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जाने की कृपा करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:20:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

प्रार्थी

दौराने बहस अप्रार्थी अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद की गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने बहस पेरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी ने घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन व नियत्रंण) आदेश 1990 के खण्ड 3(1) तथा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(2) का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा 2 गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत राजसात किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार रसद पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी ने प्रस्तुत जवाब में स्वंय घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर, जिला रसद अधिकारी, बारां को निर्देश दिये जाते है कि जप्तशुदा HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर(1) 89533S, HPCL गैस सिलेण्डर नम्बर(2) 20320I का उपयोग व्यावसायिक कार्य हेतु किया गया है, इसलिये अप्रार्थी/सुपुर्दगीदार से जप्तशुदा गैस सिलेण्डर की सिक्योरिटी राशि मय जुर्माना राशि प्रति गैस सिलेण्डर 2500/– रूपये यानि 2 गैस सिलेण्डर की कुल 5000/– रूपये लिये जाकर जप्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डर को वापस लौटाया जावे। यदि अप्रार्थी जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को उक्तानुसार राशि जमा करवा कर वापस नही लेता है तो अप्रार्थी से व्यवसायिक गैस की दर से घरेलू गैस सिलेण्डर की अन्तर राशि नियमानुसार प्राप्त करें एवं प्राकृतिक गैस विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.6.07 द्वारा राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के प्रदत्त निर्देशानुसार उक्त जप्तशुदा गैस सिलेण्डर को संचालक मैसर्स लक्ष्य-एचपी गैस एजेन्सी बारां को कीमत पर दिया जाकर उक्तानुसार प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:20:19 IST
Reason: SelfAttested

प्राथी